APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी............
......VRB Developers......मुकाम......कोटा......
किस्म मुकदमा......136 LR......बनाम......सरकार......
......नं. ......50......सन् 2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी वी0आर0बी0 डीवीलोपर्स की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्टर्ड ए0डी0/तहसीलदार प्रेषित कर तलब किया जावें। पत्रावली तलबी वास्ते वास्ते दिनांक 26/6/25 को पेश हो।	
26/6/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामील पत्रावली हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस की गई, जो सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 27/6/25 को पेश हो।	
27/6/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी वी0आर0बी0 डीवीलोपर्स की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एक डवलपर्स कम्पनी है तथा भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित कार्य करती है। प्रार्थी ने दिनांक 15.05.2025 को खातेदार अजीजउल्ला खान आयु 81 वर्ष पुत्र श्री हबीबउल्ला खान जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 3 नान्ता फार्म के सामने बूंदी रोड बडगॉव दोहन्य जिला कोटा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम रामनगर पटवार हल्का नान्दना उर्फ बडगॉव जिला कोटा में स्थित भूमि खसरा संख्या 682/673 रकबा 0.0250 है0, खसरा संख्या 683/673 रकबा 0.0150 है0, खसरा संख्या 686/99 रकबा 0.0080 है0, खसरा संख्या 687/99 रकबा 0.0120 है0, खसरा संख्या 684/680 रकबा 0.030 है0, खसरा संख्या 685/680 रकबा 0.040 है0 कुल किता 6 रकबा 0.13 है0 आराजी पर कब्जा प्राप्त किया थात था बाद खरीद प्रार्थी खरीदशुदा आराजी का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा बाद विक्रयपत्र के आधार पर तहसील कार्यालय में खसरा विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रतिवादी द्वारा खसरा तरमीम की गई थी जो गलत तरीके से हो गई थी जिसके कारण प्रार्थी के लिए प्रार्थी प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निवेदन है कि तरमीम शुद्धिकरण करवाने की कृपा करे। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम रामनगर की ख0नं0 682/673, 686/99, 684/680 खातेदार किसान प्राइम इस्टेट मुताकिब जमाबंदी अनुसार एवं ख0नं0 683/673, 687/99, 685/680 खातेदार वी0आर0बी0 डेवलपर्स मुताबिक जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनो खातेदारों के मध्य में तरमीम प्रार्थी के ले आउट प्लान अनुसार नही है। उक्त खसरा नम्बरान का मौका देखा गया दोनो खातेदार के मध्य	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लाईन सीधी है। मौके अनुसार तरमीम किया जाना प्रस्तावित है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज जमाबंदी एवं नक्शा का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होता है उक्त राजस्व रिकॉर्ड की भिन्नता को सही करने के लिए तरमीम शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी वी0आर0बी0 डीवीलोपर्स द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम रामनगर पटवार हल्का नान्दना उर्फ बडगॉव जिला कोटा में स्थित भूमि खसरा संख्या 682/673 रकबा 0.0250 है0, खसरा संख्या 683/673 रकबा 0.0150 है0, खसरा संख्या 686/99 रकबा 0.0080 है0, खसरा संख्या 687/99 रकबा 0.0120 है0, खसरा संख्या 684/680 रकबा 0.030 है0, खसरा संख्या 685/680 रकबा 0.040 है0 कुल किता 6 रकबा 0.13 है0 के राजस्व रिकार्ड में तहसील रिपोर्ट में संलग्न नक्शा नजरी के अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करने के आदेश दिए जाते है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 27/6/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा